न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल

रहमान खां बनाम अकबर खां वगै.
प्रकरण संख्या 382/2015 प्रार्थनापत्र

20.06.2019

इस आदेश के जरिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता की और से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण ने उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को खारीज करने का निवेदन किया।

मैने उभयपक्ष अधिवक्ता से बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र तथा विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु तीनो बिन्दुओ प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति पर न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार से है।

प्रथमदृष्टया मामला– प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र मे अपना प्रथमदृष्टया मामला स्वयं के पक्ष मे होना बताते हुए कथन किया है कि ग्राम संतोकपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा मे सम्वत् 2010 से 12 की जमाबन्दी मे प्रार्थी के पितामह श्री गोशमोहम्मद पठान के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमि जिसके साबिक आराजी संख्या 1/1 क रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा एवं साबिक आराजी संख्या 1/2 क रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित थी। प्रार्थी के परिवार के सजरे के अनुसार मूल पुरूष गोश मोहम्मद जी थे जिनके तीन पुत्र ईस्माईल खां, चांदखा एवं दिलदार खां हुए, इस्माईल खां के पुत्र रूस्तम खां एवं बाबु खां हुए जिनमे से रूस्तम खां का निधन हो गया जिनके मसिदा एवं नजमा वारीस है, इसी प्रकार चांद खां का वारिस रहमान खां प्रार्थी स्वंय है तथा दिलदार खां के वारिस अकबर खां, मुस्ताक, सद्दीक एवं जमील हुए जिनमे से मुस्ताक का निधन हो गया है जिनके वारिस फेमिदा एवं परवेज है। उक्त सजरे के अनुसार गोश मोहम्मद के निधन के पश्चात आराजियात उनके तीनो पुत्रों के नाम दर्ज होनी चाहिये थी, लेकिन उक्त वर्णित आराजियात नामान्तरण संख्या 16/1 दिनांक 11.09.98 से अकेले दिलदार के नाम दर्ज हो गई। उपरोक्त वर्णित साबिक आराजियात के हाल आराजी संख्या 3 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कायम कर दिलदार खां के नाम दर्ज कर दी गई, दिलदार खां के निधन के पश्चात उनके वारिसान के नाम दर्ज हो गई तथा उपरोक्त वर्णित हाल आराजी संख्या 3 से 3 बिस्वा भूमि वर्ष 2003 मे राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम दर्ज कर दी गई, शेष 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि दिलदार खां के वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज रही तथा विपक्षी संख्या 1 से 5 ने आपसी सहमती से विभाजन करा इंतकाल नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

233 दिनांक 28.12.2004 से अपने अपने नाम पर खाता अलग करवा दिया तथा विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 ने अपने हिस्से की भूमि को विपक्षी संख्या 9 एवं 10 को विक्रय कर दी तथा उनके हिस्से का नामान्तरण विपक्षी संख्या 9 एवं 10 के नाम दर्ज कर दिया गया। श्री गोश मोहम्मद जी के समय की आराजी पुश्तैनी आराजी है। इस कारण नामान्तरण उनके तीनो पुत्रों के नाम खोला जाना चाहिये था, लेकिन अकेले दिलदार खां के नाम नामान्तरण संख्या 16/1 दिनांक 11.09.58 से खुलवा लिया गया। राजस्व कर्मचारियो ने मौके की कोई जांच नही की तथा न ही ईस्माईल खां एवं चांद खां से सहमती ली, इस कारण दिलदार खां के नाम खोला गया नामान्तरण प्रार्थी के हक हिस्से के मुकाबले प्रारम्भ से ही शुन्य अवैध अकृत एवं निष्प्रभावी है तथा विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा हाल आराजी संख्या 3 का विभाजन कर उनके हिस्से मे आई आराजियात को विपक्षी संख्या 9 एवं 10 को विक्रय कर दी, इस कारण विपक्षी संख्या 9 एवं 10 को भी कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है तथा विपक्षी संख्या 9 एवं 10 के पक्ष मे खोले गये नामान्तरण एवं विक्रयपत्र प्रार्थी के मुकाबले शुन्य अवैध एवं निष्प्रभावी है तथा प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजी संख्या 3 का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाने का अधिकारी है तथा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबन्द कराने का अधिकारी है कि ग्राम संतोकपुरा की नवीन आराजी संख्या 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7 कुल किता 7 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा जो कि वर्तमान मे विपक्षी संख्या 9 एवं 10 के नाम दर्ज है उसमे प्रार्थी के 1/3 हक हिस्से के उपयोग उपभोग मे विपक्षीगण एवं उनके एजेन्ट प्रतिनिधी किसी प्रकार की बाधा एवं रूकावट उत्पन्न नही करे तथा प्रार्थी को बेदखल नही करे तथा उपरोक्त वर्णित आरायिजात को अन्य को विक्रय, हस्तान्तरित एवं खुर्द बुर्द नही करे एवं मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी के उक्त कथनो का जवाब विपक्षी संख्या 1 लगायत 5, 9 एवं 10 के अधिवक्ता द्वारा देते हुए कथन किया कि उपरोक्त वर्णित साबिक आराजियात पर कब्जा सदैव से दिलदार खां पुत्र गोश मोहम्मद का रहा तथा गोश मोहम्मद जी के तीनो लड़को ईस्माईल खा, चांद खा एवं दिलदार खां की आपसी सहमती से उपरोक्त वर्णित आराजियात पर कब्जा सदैव से दिलदार खां का रहा तथा उपरोक्त वर्णित आराजियात दिलदार खां के हिस्से मे रही। इस कारण उपरोक्त वर्णित आराजियात श्री दिलदार खां के कब्जे अधिकार की सदैव से होने के कारण उनके नाम दर्ज हुई तथा उनके निधन के पश्चात दिलदार खां के वारिसान के कब्जे आधिपत्य मे रही। प्रार्थी का कभी भी उपरोक्त वर्णित आराजियात पर कब्जा नही रहा है विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजियात मे उनका हिस्सा विपक्षी संख्या 9 एवं 10 को विक्रय किया है तथा वर्तमान मे हाल आराजी विपक्षी संख्या 1, 9 व 10 के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है तथा कब्जा विपक्षी संख्या 1, 9 व 10 का है। साबिक

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

आराजी संख्या 1/1 क व 1/2 क पर सदैव से कब्जा दिलदार खां का रहा एवं उपरोक्त वर्णित आराजियात गोश मोहम्मद जी तीनो लडको की आपसी सहमती से दिलदार खां के नाम रही तथा उक्त आशय का अंकन नामान्तरण संख्या 16/1 मे भी है जिसमे यह स्पष्टतौर वर्णित किया कि उपरोक्त वर्णित साबिक आराजियात दिलदार खां के हिस्से मे आई है, साथ ही विपक्षी अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया कि श्री गोश मोहम्मद जी का निधन 1956 से पूर्व अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही हो गया है तथा आराजियात दिलदार खां के हिस्से मे आई है तथा आराजियात पर दिलदार खां का ही कब्जा रहा है। इस कारण प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा नामान्तरण को खोले हुए थी करीबन 60 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है। इतने लम्बे समय से प्रार्थी का कोई कब्जा नही रहा है, कब्जा दिलदार खां का उनके निधन के पश्चात विपक्षी संख्या 1 लगायात 5 का तथा वर्तमान मे विपक्षी संख्या 1, 9 व 10 का है। उपरोक्त वर्णित हाल आराजी संख्या 3 मे से 3 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग मे वर्ष 2003 से पूर्व अवाप्त हुई जिसका मुआवजा भी विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा उठाया गया उसके पश्चात विपक्षी संख्या 1 से 5 ने सहमती से बची हुई आराजी का विभाजन कर लिया तथा खाते अलग अलग हो गये, जिसमे से विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 ने अपनी भूमि को विपक्षी संख्या 9 एवं 10 को विक्रय कर दी तथा वर्तमान मे हाल आराजी विपक्षी संख्या 1, 9 एवं 10 के नाम पर दर्ज है।

अधिवक्ता विपक्षी ने यह भी कथन किया कि साबिक आराजियात पर कब्जा दिलदार खां का होने एवं उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त साबिक आराजियात दिलदार खां के हिस्से मे रखे जाने के कारण ही गोस मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात नामान्तरण दिलदार खां के नाम खोलागया था जिसमे चांद खां एवं ईस्माईल खां की पूर्णतः सहमती थी, इसी कारण चांद खां एवं इस्माईल खां ने अपने जीवनकाल मे दिलदार के नाम नामान्तरण खोले जाने मे कोई आपत्ती नही की, ऐसी स्थिति मे अब चुंकि चांद खां द्वारा अपने जीवनकाल मे दिलदार खां के नाम नामान्तरण खोले जाने मे कोई आपत्ती नही की तो प्रार्थी को आपत्ती करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नही होता है। प्रार्थी का वादग्रस्त आराजियात पर कभी भी कोई कब्जा नही रहा है। वादग्रस्त आराजियात दिलदार के नाम दर्ज हुए करीब 60 वर्ष से अधिक का समय व्यतित हो चुका है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी ने असत्य एवं आधारहीन तथ्यो पर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो खारीज होने योग्य है। साबिक आराजी संख्या 1/1क एवं 1/2क पर कब्जा सैदव से दिलदार खां का रहा है तथा उक्त आराजियात के समीप ही आराजी संख्या 1/2ख एवं 1/1ख स्थित है जिस पर कब्जा दिलदार खां का होने के कारण जरिये गिसल संख्या 117/69 से उपरोक्त वर्णित साबिक आराजी संख्या 1/1ख एवं 1/2ख को दिलदार

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया, तत्पश्चात साबिक आराजी संख्या 1/2ख एवं 1/1ख तथा आराजी संख्या 1/1क एवं 1/2क के समीप ही साबिक आराजी संख्या 1 मीन जो कि फैयाज खां पुत्र अब्दुल खां मुसलमान के नाम दर्ज थी जिसमे सेटेलमेन्ट कार्यवाही के दौरान आराजी संख्या 1/2क मे से हिस्सा फैयाज खां के नाम दर्ज कर दिया गया तथा आराजी संख्या 1/2क का रकबा कम हो गया जिस बाबत दिलदार खां ने असीसटेन्ट सेटलमेन्ट आफिसर भीलवाडा के यहां चाराजोही की जिसके प्रकरण संख्या 21/73 है जिसमे दिनांक 06.04.73 को निर्णय पारित करते हुए फैयाज मोहम्मद के नाम अधिक हुए हिस्से को कम किया गया तथा तत्समय जो मौका रिपोर्ट कायम की गई उसमे भी साबिक आराजी संख्या 1/1क एवं 1/2क जो कि विवादित आराजियात है जिस पर कब्जा दिलदार खां का ही पाया गया एवं उसके समीप ही आराजी संख्या 1/1ख एवं 1/2ख स्थित होना एवं उस पर भी कब्जा दिलदार खां का होना बताया गया ऐसी स्थिति मे उपरोक्त वर्णित विवादित आराजी संख्या 1/1क एवं 1/2क पर सदैव से कब्जा दिलदार खां का ही प्रतित होता है। अगर चांद खां एवं ईस्माईल खा का कोई कब्जा होता तो उनके द्वारा इस संबन्ध मे कोई चाराजोही अवश्य ही की जाती, ऐसी स्थिति मे जब चांद खां एवं ईस्माईल खां की आपसी सहमती से ही आराजियता दिलदार खां के नाम दर्ज हुई है तो प्रार्थी को उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई बिनायवाद उत्पन्न नही होता है क्योकि चांद खा ने अपने जीवनकाल मे दिलदार खां के नाम हुए नामान्तरण को कोई चुनोती नही दी है। चुंकि वादग्रस्त आराजियात दिलदार खां के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हुई तत्पश्चात दिलदार खां के निधन के उपरान्त उपरोक्त वर्णित आराजियात विरासत से विपक्षी संख्या 1 लागयत 5 के नाम दर्ज हुई तथा उनके द्वारा विपक्षी संख्या 9 एवं 10 को सप्रतिफल आराजियात विक्रय की गई तथा आराजियात का कब्जा विपक्षी संख्या 9 एवं 10 को सिपुर्द किया गया तथा विपक्षी संख्या 9 एवं 10 ने भी राजस्व रेकार्ड देख कर तथा आराजियात जैर बहस पर कब्जा विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 का ही देख कर ही आराजियात सप्रतिफलतोर क्रय की है, इस प्रकार विपक्षी संख्या 9 एवं 10 बोनाफाईड केता है तथा विपक्षी संख्या 9 एवं 10 के नाम जो विक्रयपत्र निष्पादित हुए है उनके निरस्त कराने का भी राजस्व न्यायालय को कोई अधिकार नही है। अगर विक्रयपत्र को प्रार्थी निरस्त करवाना चाहता है तो उसका एक मात्र क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है प्रार्थी ने क्षेत्राधिकारित से परे यह प्रार्थनापत्र विपक्षी संख्या 9 एवं 10 के हक मे निष्पादित विक्रयपत्र को शुन्य, अवैध अकृत एवं निष्प्रभावी कराने बाबत प्रस्तुत किया है जो क्षेत्राधिकारिता से परे होने के कारण प्रार्थनापत्र खारीज होने योग्य है। प्रार्थी किसी प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी नही है क्योकि उसके पिता चांद खां द्वारा ही आराजी जैर बहस दिलदार खां के नाम दर्ज हो जाने बाबत कोई आपत्ती नही की है। इस कारण प्रार्थी पूरी

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तरह पाबन्द है तथा प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। साथ ही यह भी कथन किया कि उपरोक्त वर्णित हाल आराजी संख्या 3 जो समय समय पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अवाप्त की गई जिसका मुआवजा विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 ने प्राप्त किया है प्रार्थी ने कभी भी उक्त मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही मे भाग नही लिया एवं नही ही कभी कोई आपत्ती पेश की है, ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी मे कोई हक हिस्सा नही है तथा न ही प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है तथा प्रार्थी को प्रार्थनापत्र खारीज किये जाने का अनुतोष चाहा।

मैने उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कथन एवं उनकी बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया, न्यायलय के विनम्र मत मे चुंकि दिलदार खां के नाम नामान्तरण खोले 60 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, इस लम्बे समय के दौरान ईस्माईल खां एव चांद खां ने कभी कोई आपत्ती प्रस्तुत नही की तथा दिलदार खां ने फैयाज मोहम्मद द्वारा वादग्रस्त आराजियात के आशिंक हिस्से पर कब्जा कर लिया, इस बाबत सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान कानूनी कार्यवाही भी की अगर चांद खां एवं ईस्माईल खा का वादग्रस्त आराजी मे कोई हिस्सा होता तो उनके द्वारा भी कोई कार्यवाही की जाती तथा वादग्रस्त आराजियात का विभाजन भी हो गया तथा विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा आराजियात विपक्षी संख्या 9 एवं 10 को विक्रय की जा चुकी है वादग्रस्त आराजियात वर्तमान मे विपक्षी संख्या 1, 9 एवं 10 के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। उक्त वादग्रस्त आराजियात बाबत समय समय पर हुई अवाप्ति कार्यवाही मे प्रार्थी एवं उसके पिता द्वारा कोई आपत्ती प्रस्तुत नही की गई, ऐसी स्थिति मे वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थी का कोई कब्जा हो यह नही माना जा सकता है। कानूनन खातेदार काश्तकार एवं कब्जेधारी के विरूद्ध कोई निषेधाज्ञा भी पारित नही की जा सकती है। विपक्षी की और से प्रस्तुत दस्तावेजात से विपक्षी ने वादग्रस्त आराजियात पर अपना कब्जा होना साबित किया है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का कोई प्रथमदृष्टया मामला उसके पक्ष मे बनना प्रतित नही होता है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रथमदृष्टया मामला विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 एवं 9 व 10 के पक्ष मे बनना पाया जाता हैं।

सुविधा संतुलन – चुंकि न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के हक मे बनना नही पाया है बल्कि प्रथमदृष्टया मामला विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 एवं 9 व 10 के पक्ष मे बनना पाया है ऐसी स्थिति मे सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध तथा विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 एवं 9 व 10 के हक मे तय किया जाता है।

अपूर्णिय क्षति – न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध तय करते हुए विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 एवं 9 व 10 के हक मे तय किया है। विपक्षी संख्या 1 तथा 9 एवं 10 रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

अनुसार कब्जा प्रथमदृष्टया उनका होना प्रतीत होता है। कानूनन कब्जेधारी एवं खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है, अगर खातेदार काश्तकार एवं कब्जेधारी के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी के मुकाबले विपक्षी संख्या 1, 9 व 10 को अपूर्णिय क्षति होगी। ऐसी स्थिति मे अपूर्णिय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध तथा विपक्षी संख्या 1, 9 व 10 के हक मे तय किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी के विरूद्ध प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति का बिन्दु तय करते हुए उपरोक्त तीनो बिन्दु विपक्षी संख्या 1, 9 एवं 10 के पक्ष मे तय किया है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारीज होने योग्य है

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा